<u>न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ जिला चूरू</u>

पीठासीन अधिकारी-नीलम मीणा आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी-519/2018

परिवाद नं.:-233/2017

सीएनआर नं.:-**RJCH070009852018**

सुरेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी वार्ड नं. 02, ज्योति नगर कस्बा, राजगढ़ जिला चूरू

.....परिवादी

बनाम

राकेश कुमार माली पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नं. 18, काका कॉलोनी, कस्बा सरदारशहर, जिला चूरू

.....अभियुक्त

<u>-:अन्तर्गत धारा 138 नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट:-</u>

उपस्थित-

1. श्री **अशोक कुमार पूनियां**, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी पक्ष ।
2. श्री **विरेन्द्र पूनियां**, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त पक्ष ।

<u>-:निर्णयः-</u> दिनांकः- 18.03.2026

1. हस्तगत परिवाद परिवादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 08.08.2017 को इस न्यायालय में पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी कस्बा राजगढ़ में प्रोपर्टी व्यवसाय करता है तथा मुलजिम सरदारशहर में किराणा की दुकान करते हैं। परिवादी व मुलजिम की आपस में अच्छी जान पहचान होने के कारण मुलजिम ने परिवादी से अपनी घरू आवश्यकता हेतु दिनांक 10.04.2017 को 5 लाख रूपये 3 माह के लिए उधार मांगे, जिस पर परिवादी ने उसी दिन सुधीर पुत्र हरपाल के सामने मुलजिम को 5 लाख रूपये नकद उधार दे दिए। तीन माह का समय पूर्ण होने पर दिनांक 18.07.2017 को परिवादी ने मलजिम से अपने उधार दिए गए 5 लाख रूपये वापिस मांगे तो मुलजिम ने उक्त उधार लिए गए रूपयों के विधिक भुगतान के दायित्व पेटे परिवादी को एक चैक संख्या 015946 राशि 5,00,000/-रूपये दिनांक 18.07.2017 बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर जिला चूरू का अपने हस्ताक्षर कर सौंपा था। परिवादी ने उक्त चैककृत राशि के भुगतान हेतु चैक को अपने खाता वाला बैंक में पेश किया, जहां से उक्त चैक अभियुक्त

के खाता से चैककृत राशि का भुगतान न किया जाकर उक्त चैक मय वापसी ज्ञापन दिनांक 19.07.2017 को "Funds insufficient" के पृष्ठांकन के साथ अनादृत कर परिवादी को उक्त असल चैक मय वापसी ज्ञापन सहित बिना भुगतान वापिस लौटा दिया गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांकः 22.07.2017 को एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस मय ए.डी. अभियुक्त को प्रेषित किया, लेकिन मुल्जिम ने विधि द्वारा विहित अवधि में चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया। अंत में परिवादी ने अभियुक्त को दण्डित कर समस्त राशि मय ब्याज सहित दिलवाये जाने का निवेदन किया।

3. परिवादी की ओर से स्वयं के परिवाद पत्र के समर्थन में सरसरी सबूत के रूप में परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

5. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 138 एन. आई. एक्ट में आरोप सारांश पृथक से सुनाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. साक्ष्य परिवादी में परिवादी की ओर से निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गया -

क्र.सं.	गवाह संख्या	गवाह का नाम	विवरण
01	सी.ड. 01	सुरेश कुमार	परिवादी
02	सी.ड. 02	सुधीर	परिवादी पक्ष

7. परिवादी पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

क्रम सं.	**प्रदर्शनी सं.**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 1	जमा रसीद
2	प्रदर्श पी 2	मूल चैक
3	प्रदर्श पी 3	रिटर्न मीमों
4	प्रदर्श पी 4	डाक रसीद
5	प्रदर्श पी 5	एडी
6	प्रदर्श पी 6	कानूनी नोटिस

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा-313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किए गए तो अभियुक्त ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि उक्त दो खाली चैक मैंने अशोक बैरासरिया को दिए थे, जिसने उक्त चैक भरकर अपने परिचित सुरेश कुमार ने अनादृत करवाकर व दूसरा चैक अपने भाई सुनिल कुमार के नाम से लगाकर अनादृत करवाकर लगवा दिया और स्वंय के निर्दोष होने व झूठे फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश करनी चाही, किंतु कोई दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई।

9. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परिवादी ने अपने परिवाद को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया, जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस अंतिम में तर्क दिया की परिवादी अपने परिवाद को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्री-मेच्योर है और अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त ने माननीय न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

1. Cri. Appeal No. 36 Of 2019 Basalingappa vs mudibasappa (sc)
2. Cri. Appeal No. 3257 Of 2024 Sri Dattatraya vs Sharanappa (sc)
3. Cri. Appeal No. 518 Of 2006 krishna Janardhan bhat vs Dattatraya G. Hegde. (sc)
4. Cri. Appeal No. 605 Of 2012 Yogendra pratap singh vs Savitri pandey and Anr. (sc)

10. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि-

''क्या अभियुक्त ने परिवादी से अच्छी जान पहचान के चलते अपनी घरू आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिनांक 10.04.2017 को 5 लाख रूपये सुधीर पुत्र हरपाल सिंह के समक्ष तीन माह की अवधि हेतु उधार लिए और उक्त उधार लिए गए रूपयों की मांग परिवादी द्वारा करने पर अभियुक्त ने उक्त उधार ली गई राशि के विधिक भुगतान के दायित्व पेटे एक चैक संख्या 015946 राशि 5,00,000/-रूपये दिनांक 18.07.2017 बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सरदारशहर जिला चूरू का अपने हस्ताक्षरयुक्त सुपुर्द किया, जो ''Funds insufficient'' की टिप्पणी के साथ दिनांक 19.07.2017 को अनादरित कर परिवादी को लौटा दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा नियत समयावधि में विधिक नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। यदि हां तो उपयुक्त दंडादेश क्या होगा ?''

11. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी द्वारा स्वंय को पी.ड.-01 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्यों को दोहराया है। दौराने जिरह परिवादी ने सशपथ कथन किया है कि वह महीने के लगभग 20, 30, 50 हजार रूपये कमा लेता है। वह इनकम टैक्स 10-15 साल से भर रहा है। वह खेती का काम भी करता है। उसने बैंक में चैक कब लगाया उसे तारीख ध्यान नहीं है। चैक उसे मुलजिम ने किस तारीख को दिया आज उसे ध्यान नहीं है। चैक अनादृण की सूचना बैंक ने उसे कब दी थी, उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी-06 उसके वकील ने दस्तावेज देखकर लिखा था। प्रदर्श पी-05 उसके स्वंय के पास उसके घर पर आया था। प्रदर्श पी-05 राकेश को दिनांक 25.05.2017 को मिली थी, अज कहा मिली होगी। प्रदर्श पी-05 पर ए से बी राकेश के ही हस्ताक्षर है, फिर कहा कि मुझे ध्यान नहीं कि प्रदर्श पी-05 पर हस्ताक्षर किसके हैं।

12. इसी प्रकार परिवादी की ओर से गवाह पी.ड.-02 सुधीर को परीक्षित करवाया गया है, जो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में परिवादी के समान ही कथन करता है। दौराने जिरह गवाह इस सुझाव को सही होना स्वीकार करता है कि वह मुलजिम राकेश को नहीं जानता है, अज कहा उसने राकेश को दो चार बार देखा है। उसके सामने जो रूपये देने बता रहा है, उनकी कोई लिखा पढ़ी सुरेश व मुलजिम राकेश के बीच नहीं हुई। गवाह इस सुझाव को सही होना स्वीकार करता है कि मुलजिम राकेश व परिवादी सुरेश कुमार के बीच जो रूपयों का लेन देन हुआ था, वह किसी प्लॉट को लेने बाबत हुआ हो तो वह नहीं बता सकता। इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा मुलजिम को रूपये देने व चैक देने की तारीख वह नहीं बता सकता।

13. उपरोक्त विचारणीय बिंदू का निस्तारण करने से पूर्व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवाद अपरिपक्व होने के संबंध में दिए गए तर्क का विवेचन किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत परिवाद अपरिपक्व होने से खारिज किए जाने योग्य है। जबकि विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब न्यायालय द्वारा परिवाद पर प्रसंज्ञान लिया गया था, तब नोटिस दिए जाने के संबंध में विधिक अवधि पूर्ण हो चुकी थी।

इस संदर्भ में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के परंतुक -

इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि-

(क)- वह चैक उसके लिखे जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या उसकी

विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो,

(ख)- चैक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को, असंदत्त चैक के लौटाये जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है, और

(ग)- ऐसे चैक का लेखीवाल, चैक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार-

परंतुक - इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि-

(ख)- ऐसा परिवाद उस तारीख के एक मास के भीतर किया जाता है जिसका धारा 138 के परन्तु के खंड (ग) के अधीन वाद हेतु उद्भूत होता है।

इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय काः-

न्यायिक दृष्टांत योगेन्द्र प्रताप सिंह बनाम सावित्रि पाण्डेय ¼CRIMINAL APPEAL NO. 1924-1925 OF 2014½ में यह अभिनिर्धारित किया है किः-

"A complaint filed before expiry of 15 days from the date on which notice has been served on drawer/accused cannot be said to disclose the cause of action in terms of clause (c) of the proviso to Section 138 and upon such complaint which does not disclose the cause of action the Court is not competent to take cognizance. A conjoint reading ofSection 138, which defines as to when and under what circumstances an offence can be said to have been committed, with Section 142(b) of the NI Act, that reiterates the position of the point of time when the cause of action has arisen, leaves no manner of doubt that no offence can be said to have been committed unless and until the period of 15 days, as prescribed under clause (c) of the proviso to Section 138, has, in fact, elapsed. Therefore, a Court is barred in law from taking cognizance of such complaint. It is not open to the Court to take cognizance of such a complaint merely because on the date of consideration or taking cognizance thereof a period of 15 days from the date on which the notice has been served on the drawer/accused has elapsed."

14. अपरिपक्व परिवाद के संबंध में उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.07.2017 का चैक परिवादी सुरेश कुमार के पक्ष में जारी किया गया। उक्त चैक दिनांक 19.07.2017 को अनादृत किया जाकर परिवादी को लौटाया गया, तत्पश्चात परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिनांक 22.07.2017 को जरिए पंजीकृत डाक नोटिस भिजवाया गया तथा उक्त नोटिस की तामिल अभियुक्त पर दिनांक 25.07.2017 को सम्यक रूप से हो गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2017 को यह परिवाद पेश किया गया। उक्त समयावधि के संबंध में गणना करने पर यह जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिनांक 22.07.2017 को विधिक

नोटिस प्रदर्श पी-06 भेजा गया व दिनांक 25.07.2017 को अभियुक्त को मिला, जिसकी एडी प्रदर्श पी-05 है, जिसमें नोटिस प्राप्ति की दिनांक 25.07.2017 अंकित है। इस प्रकार परिवादी द्वारा विधि की उपेक्षाओं के अनुरूप विहित समयावधि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के समाप्त होने से पूर्व ही यह परिवाद दिनांक 08.08.2017 को न्यायालय में पेश कर दिया गया। परिवादी ने अपनी जिरह में भी यह कथन किया है कि प्रदर्श पी-05 राकेश को दिनांक 25.05.2017 को मिली थी। परिवादी की ओर से ऐसी कोई अन्य सुदृढ़ साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे परिवाद विधिक अवधि पूर्ण होने के पश्चात पेश किया गया हो। इससे धारा 138 एनआईएक्ट में अपेक्षित 15 दिवस की शर्त की आपूर्ति ना होना स्पष्ट रूप से दर्शित है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा योगेन्द्र प्रताप सिंह सुप्रा" में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त एन. आई. एक्ट से संबंधित लम्बित प्रकरणों में भी लागू होगा। माननीय न्यायालय के मतानुसार नोटिस प्राप्ति से 15 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया जा सकता है। धारा 138 एन. आई. एक्ट के अपराध के गठन हेतु नोटिस प्राप्ति से 15 दिवस पूर्ण होना अनिवार्य शर्त है। उक्त आवश्यक शर्त की पूर्ति न होने पर धारा 138 एन. आई. एक्ट के अपराध का गठन होना ही नहीं माना जा सकता आर जब अपराध का गठन ही नहीं हुआ है तो एसी स्थिति में अपराध का संज्ञान लिया जाना विधि संगत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में धारा 138 एन.आई. एक्ट में वर्णित 15 दिवस की शर्त की पूर्ति न कर 15 दिवस पूर्ण होने से पूर्व ही परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार स्पष्ट है जिससे परिवाद पूर्णतया अपरिपक्व की श्रेणी में आता है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा योगेन्द्र प्रताप सिंह सुप्रा" में प्रतिपादित सिद्वान्त द्वारा विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। अतः इस स्तर पर विचारणीय बिन्दु के संबंध में अन्य तथ्यों पर साक्ष्य का विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

16. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अपरिपक्व परिवाद की श्रेणी में आने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। अतः अभियुक्त राकेश कुमार माली पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नं. 18, काका कॉलोनी, कस्बा सरदारशहर, जिला चूरू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:आदेशः-

17. फलतः अभियुक्त राकेश कुमार माली पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नं. 18,

काका कॉलोनी, कस्बा सरदारशहर, जिला चूरू को एन.आई.एक्ट. की धारा 138 के अपराध के आरोप में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्री-मेच्योर (pre-mature) होने पर खारिज होने के कारण दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(नीलम मीणा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू

18. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(नीलम मीणा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़, जिला चूरू

RAVINDRA KUMAR
stenographer grade III
Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.03.19 13:00:41 +0500